


पत्रांक: 688

दिनांक: 22-8-2020



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण पत्र

नवीनीकरण संख्या :RENEW082020001977

एतद्वारा प्रामाणित किया जाता है कि पी0पी0 एस0 एजूकेशनल सोसाइटी,, HARIKALAN RAIWALA ,Dehradun,Uttarakhand,PIN-249205 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या UK06003072020004314 ,दिनांक 03-MAR-2014 को दिनांक 02-Mar-2019 से 01-Mar-2024 तक के लिए नवीकृत किया गया है।

रु. 6900/- की नवीनीकरण फीस सम्यक रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक 14-Aug-2020.



सोसाइटी-रजिस्ट्रार
उत्तराखण्ड

Note- Unsigned Photocopy or Scanned-Copy of this Certificate is not valid for any kind of Legal/Government/Non-Government/Official purpose.

भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

22AA 474281

काल्पनिक स्टाम्प द्वारा दिया गया। रुपये 10 के बिना वापसी के लिए अधिकारी को लिया जाता है।

खाता की पत्रावली सं. 36817-D
को प्रमाणित गांवबिहि
जात दिया गया।



Xhel
उप निवड्यक
फर्स्ट सोसाइटी एवं चिट्ठी
देहरादून



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

22AA 474282

वृषभ विधि कानूनी संस्कार समिति का संचालन करने वाली एक संस्था है। यह संस्था को सरकारी अधिकारी द्वारा दिए गए संख्या 26817-P के साथ आधिकारिक रूप से बनाया गया है।




उप नियन्त्रक
कम्स सोसाइटीज एवं चिट्रा
देहरादून

उत्तराखण्ड सोसाइटीज
(उत्तराखण्ड)

24 FEB 2014

५

(पर भूमि पाठ्यक्रम के स्कूल) *Par*

१. सोसाईटी का नाम - (पी० पी० एस०) एजुकेशनल सोसाईटी
२. सोसाईटी का पूरा पता - ग्राम व पोस्ट हरिपुर कलौं रायवाला जिला देहरादून
३. सोसाईटी का कार्यक्षेत्र - समस्त भारत राष्ट्रीय *भाषा*
४. सोसाईटी का उद्देश्य - (सोसाईटी) प्रयोजन के लिए कार्य करे।

१. देश की शिक्षा प्रणाली में बेहतर योगदान करना।

२. साक्षरता अभियान, प्रौढ़ शिक्षा, भाषा विकास, हिन्दी व अंग्रेजी माध्यमिक प्राथमिक विधालय व उच्चतर माध्यमिक विधालयों डिग्री कालेजों की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।

३. व्यवसाय व तकनीकी शिक्षा के लिये विधालयों की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।

४. संस्था द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों को सम्बंधित विभागों में मान्यता प्रदान करना। *Par*

५. अनु०जाति अनु०जन०जाति व पिछड़ा वर्गीजिधि छात्रों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना व उनको निशुल्क रूप से पुस्तकें इस व अन्य सहायता प्रदान करना।

६. पुस्तकालयों स्कूल छात्रावास कार्यशालाओं हस्तशिल्प कन्द्रो आदि की स्थापना करना व उनका संचालन करना।

७. सभी प्रकार के खेलकूदों का आयोजन करना व खिलाड़ियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना।

८. निराकृत महिलाओं विधवाओं असहाय लोगों को आश्रय प्रदान करने के लिये अनाथालयों आश्रमों नारी सुरक्षा बाल व महिला कल्याण आदि की स्थापना करना व उनको निशुल्क प्रशिक्षण चिकित्सा विकास भेजन शयन रोजगार स्वालंबी बनाने हेतु स्वरोजगार आदि उपलब्ध कराना व उनका संचालन करना।

९. जाति धर्म व भाषा के आधार पर उत्पन्न द्वेष की भावना को जाग्रत करना। *Par*

१०. राज्यों व केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाली सहायता प्राप्त करना व उक्त राष्ट्र को चैरिटिबल कार्यों में व्यय करना।

११. सोसाईटी वे सभी कार्य करेगी जोकि सोसाईटी एक्ट 1860 की धारा 20 के अन्तर्गत आते हैं। *Par*

१२. संस्था समाज से विलुप्त हो रही भू सम्पदा एवं प्राकृतिक सम्पदा का विकास करेगी तथा उनके बारे में समाज में जागरूकता फैलायेगी। इसके अतिक्रिय लोगों को शिक्षित एवं प्रशिक्षित कर एक स्वस्थ समाज की स्थापना करेगी।

१३. संस्था नागरिकों के लिये पेयजल की पूर्ति हेतु राज्य सरकार व केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्यों के लिये कार्य करेगी।

Shiv Chel Bhawna *Ghosal* *Bhawna*
25/10/11 *Namal*

सत्य प्रतिविधि

उप निबन्धक
सोसाईटीज़ एवं चिट्ठी
देहरादून

अ. नू.
सत्य प्रतिविधि

(5)

१४ पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिये लोगों को पर्यावरण सम्बन्धित जानकारी का प्रचार प्रसार करेगी।

१५ संस्था विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम के द्वारा कृषि योग्य भूमि को संतुलित करने व मशरूम की खेती के बारे किसानों को अधिक से अधिक आधुनिक सुचना तकनीकी के बारे में बतायेगी।

१६ संस्था लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, जनसंख्या वृद्धि नियन्त्रण, साक्षरता अभियान, प्रौढ़ शिक्षा, भाषा विकास, कुछ निवारण, क्षय नियन्त्रण, पोलियो उन्मूलन, मधुमेह नियन्त्रण के कार्यक्रमों में संलग्न रहते हुए परियोजनाओं का संचालन करना।

संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पते, पद तथा व्यवसाय जिनकी संस्था के इस स्मृति-पत्र तथा नियमावली के अनुसार सोसाईटी का कार्यभार सौंपा गया :-

क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	व्यवसाय	पद
1	श्रीमति सविता शर्मा	श्री प्रेम लाल शर्मा	हरिपुर कलां रायवाला देहरादून	समाजसेविका	अध्यक्ष
2	श्री शिव गोपाल	श्री दर्शन लाल	१४ ब्रीघा, क्रृष्णकेश देहरादून	समाजसेवी	उपाध्यक्ष
3	श्री प्रेम लाल शर्मा	श्री स्व० परसराम	हरिपुर कलां रायवाला देहरादून	समाजसेवी	सचिव
4	प्रियंका शर्मा	श्री प्रेम लाल शर्मा	हरिपुर कलां रायवाला देहरादून	समाजसेविका	कोषाध्यक्ष
5	पार्खल शर्मा	श्री प्रेम लाल शर्मा	हरिपुर कलां रायवाला देहरादून	समाजसेविका	सामूहिक सदस्य (पत्र)
6	श्रीमति कमला देवी	श्री गिरिजा शंकर	हरिपुर कलां रायवाला देहरादून	समाजसेविका	सदस्य
7	श्रीमति सवित्री देवी	श्री स्व० परसराम	हरिपुर कलां रायवाला देहरादून	समाजसेविका	सदस्य

दिनांक ६/१०/२०१३

सत्य प्रतिलिपि

Shri Gopal Sharma
नमिता

उप निवारक
फर्म सोसाइटी एवं चिक्क
देहरादून

(6)

नियमावली

(परशुराम पाठ्यक्रमालय)

१. सोसाईटी का नाम-
२. सोसाईटी का पूरा पता
३. सोसाईटी का कार्यक्षेत्र
४. सोसाईटी की सदस्यता:- संस्था की सदस्यता हेतु 18 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चहिये सदस्य किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित न हो पागल व दिवालिया न हो प्रबन्धकारी द्वारा सदस्य बनने के लिये अनुमति प्राप्त करना आवश्यक हैं उपरोक्त सभी शर्तों का पालन करना अति आवश्यक हैं

५. सदस्यों के वर्ग :- (क) आजीवन सदस्य - जो महानुभाव संस्था को एकमुश्त रु० 11000.00/- देगा। अथवा इतनी सम्पत्ति दान करेगा वह महानुभाव संस्था का आजीवन सदस्य कहलायेगा। उन्हे मात्र एक बार ही शुल्क देना होगा खेचा से यदि चाहे तो किसी भी रूप में आर्थिक सहायता कर सकते हैं। (ख) साधारण सदस्य - जो महानुभाव संस्था को वार्षिक रु० 1100.00/-रु दान स्वरूप देगा वह संस्था का साधारण सदस्य होगा लेकिन वोट देने का अधिकार उसे ही प्राप्त होगा जो लगातार तीन वर्ष तक सदस्य रह चुका हो।
६. सदस्यता की समाप्ति-निम्नलिखित दशाओं में सदस्यता समाप्त को जा सकती है।

- (क) मृत्यु हो जाने पर।
- (ख) पागलपन हो जाने पर।
- (ग) न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।
- (घ) निधन व सदस्यता शुल्क न देने पर।
- (ङ) संस्था के उददेश्यों के अनुरूप कार्य न करने पर।
- (च) मिटिंग में लगातार 3 बार अनुपस्थित रहने पर।
- (छ) किसी प्रकार की अपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त होने पर।



हस्त ग्रहण

७. सोसाईटी के अंग :- (क) साधारण सभा (ख) प्रबन्धकारिणी समिति साधारण सभा

- (अ) गठन :- सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।
- (ब) बैठक :- सामान्य बैठक माह में एक बार तथा विशेष बैठक आवश्यकता पड़ने पर कभी भी बुलाई जा सकती है।
- (स) सूचना अवधि :- सामान्य बैठक हेतु 15 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा तथा विशेष बैठक हेतु 3 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा। शीघ्र सूचना के लिये मैसेज भेजा जायेगा।
- (द) गणपूर्ति :- साधारण सभा की किसी भी बैठक के लिये 2/3 सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यक होगी।

(सचिव तथा कम से कम तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षर)

अधिकारी का नाम
→

Shiv Chal Manna

क्रमांक

Chamal

Pharma

प्रकाश सोसाईटी देहरादून

(२)

- (र) साधारण सभा के कर्तव्य एवं अधिकार :-
 ०१ प्रत्येक ५ वर्ष बाद प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव किया जायेगा।
 ०२ वार्षिक आय-व्यय का बजट पास करना।
 ०३ नियमो व विनियमो में परिवर्तन संशोधन करना प्रबन्धकारिणी में पदाधिकारियों सदस्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करना तथा सोसाइटी की नीति निर्धारण करना।

(ख) प्रबन्धकारिणी समिति :-

- (अ) गठन :- साधारण सभा द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव किया जायेगा। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, कार्यक्रम संयोजक कुल ७ सदस्य होंगे।
 (ब) बैठक :- सामान्य बैठक वर्ष में दो बार तथा विशेष बैठक आवश्यकता पड़ने पर कभी भी बुलाई जा सकती है।
 (स) सूचना अवधि :- सामान्य बैठक हेतु १५ दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा तथा विशेष बैठक हेतु ३ दिन पूर्व सूचना तथा आकस्मिक बैठक के लिये २४ घन्टे के पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा। शीघ्र सूचना के लिये मैसेज भेजा जायेगा।
 (द) गणपूर्ति :- बैठक की गणपूर्ति हेतु 2/3 पदाधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक होगी।
 (य) कार्यकाल :- प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल पाँच वर्ष होगा।
 (र) रिक्त स्थानों की पूर्ति :- 2/3 पदाधिकारियों के बहुमत से शेष अवधि के लिए साधारण सभा के सदस्यों में से रिक्त हुए स्थानों की पूर्ति कर सकेगी।
 (र) प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य एवं अधिकार :- नियमो व विनियमो में परिवर्तन संशोधन करना प्रबन्धकारिणी में पदाधिकारियों सदस्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करना तथा सोसाइटी की नीति निर्धारण करना।

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :-

- (क) अध्यक्ष :- ०१ सोसाइटी की सभी प्रकार अध्यक्षता करना।
 ०२ आकस्मिक बैठक बुलाना व संस्था की उन्नति हेतु कार्य करना।
 ०३ अध्यक्ष विवाद की स्थिति में अपना निर्णय देना सकता हैं जोकि सर्वमान्य होगा।
 ०४ अध्यक्ष उस सदस्य की सदस्यता समाप्त कर सकता हैं जो संस्था के विरुद्ध कार्य कर रहा हो।

- (ख) उपाध्यक्ष :- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके सभी कार्य देखना। जब उसके पास लिखित पत्र हो

सत्य प्रतिलिपि

(सचिव तथा कम से कम तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षर)

Shiv Gopal Mehta

कमाल

Bhaurao

Samuel

उप नियन्त्रक
सोसाइटी एवं विद्या
देहरादून

सचिव
देहरादून

(8)

- (ग) सचिव :- संस्था का प्रबन्ध संचालन करना तथा सभी प्रकार की बैठको हेतु ऐजेन्डा ताकि सूचना पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर कराना तथा स्वयं के हस्ताक्षर करना ताकि संस्था चलाने के लिये कर्मचारियों व अधिकारियों की नियुक्ति करना व संस्था में नये सदस्य बनाने हेतु सदस्यता प्रमाण पत्र जारी करना एवं संस्था की उन्नति के लिये कार्य करना ।
- (घ) कोषाध्यक्ष :- संस्था के आय व्यय का लेखा जोखा अध्यक्ष व सचिव के निर्देश अनुसार कार्य करना तथा कोष जमा करना संस्था के कोष का रखरखाव तथा खाते का संचालन करना ।
कोषाध्यक्ष सभी कार्य अध्यक्ष के साथ मिलकर करेगा ।
- (ङ) कार्यक्रम संयोजक :- कार्यक्रम संयोजक का कार्य अध्यक्ष के निर्देशानुसार उन सभी कार्यक्रमों का संचालन करना जोकि नियमित में संस्था द्वारा किये जाते हैं ।
८. सोसाइटी के नियम/विनियमों में संशोधन की प्रक्रिया :- सोसाइटी के विधान में परिवर्तन संसोधन संस्था की कार्यकारिणी समिति की बैठक में पास होने पर अथवा संस्था के आजीवन सदस्यों के प्रस्ताव लाने पर किया जायेगा परन्तु यह परिवर्तन या संशोधन साधारण सभा और प्रबन्धकारिणी समिति में विधान परिवर्तन का प्रस्ताव पारित करके तथा उसे साधारण सभा द्वारा अनुमोदित करवाकर सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम की धारा 4, तथा नियम 5 के अनुसार कलब के नियमों में परिवर्तन की कार्याही के प्रस्ताव की प्रति के साथ 30 दिन के अन्दर ही उन्हें पंजीकरण करने के अनुरोध के साथ निबंधक कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। नियमों में परिवर्तन की स्थिति में कलब की संशोधित नियमावली प्रस्तुत की जाएगी। कार्यालय द्वारा उक्त परिवर्तनों के पंजीकरण किये जाने की सूचना जारी किये जाने पर ही परिवर्तन मान्य होंगे।

प्रतिचिन्ह

(सचिव तथा कम से कम तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षर)

Shiv Lal Sharma

मा.ला.

Bhawna

अधिकारी
द्वारा दिया गया

उप विकासक
समिति सोसाइटी एवं विद्या
द्वारा दिया गया

उप विकासक
समिति सोसाइटी एवं विद्या
द्वारा दिया गया

(9)

(ग) सचिव :- कार्यकारिणी समिति की बैठकों की कार्यवाही लिखना, आगामी बैठक में पिछली कार्यवाही की पुष्टि करवाना, वार्षिक बजट बनाना, संस्था के आय-व्यय सम्बन्धी समस्त प्रपत्र तैयार करवाना, चार्टड एकाउन्ट से आडिट करवाना, आडिट रिपोर्ट प्रबन्धकारिणी के समक्ष पेश करना, संस्था की ओर से पत्राचार करना, कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत नियमों के अधीन कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करना तथा संस्था के हितार्थ कार्य करना जो संस्था के उद्देश्यों के विरुद्ध न हो।

(घ) कोषाध्यक्ष :- संस्था के कोष का रखरखाव तथा खाते का संचालन करना।

(ङ) सदस्य :- प्रबन्धकारिणी में सदस्य होंगे जो कोरम की पूर्ति करेंगे व पदाधिकारीयों को संस्था के कामों में सहयोग करेंगे।

8. संस्था के नियम/ विनियमों में संशोधन की प्रक्रिया - संस्था के विधान में परिवर्तन कराने हेतु प्रबन्धकारिणी समिति में विधान परिवर्तन का प्रस्ताव पारित करके तथा उसे साधारण सभा द्वारा अनुमोदित करवाकर सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम की धारा 4ए तथा नियम 5 के अनुसार संस्था के नियमों में परिवर्तन की कार्यवाही के प्रस्ताव की प्रति के साथ 30 दिन के अन्दर ही उन्हें पंजीकरण किये जाने की सूचना जारी किये जाने पर ही परिवर्तन मान्य होंगे।

उत्तम प्रतिलिपि
10. प्रबन्धकारिणी समिति की वार्षिक सूची तथा संतुलन पत्र:- प्रत्येक वर्ष प्रबन्ध कारिणी समिति की सूची तथा आय-व्यय लेखे व संतुलन पत्र नियमानुसार उप निबन्धक कार्यालय में जमा किया जायेगा।

12. संस्था द्वारा अथवा संस्था के विरुद्ध सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम की धारा -6 के अनुसार अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व संस्था के सचिव का होगा।

(सचिव तथा कम से कम तीन अन्य पदाधिकारीयों के हस्ताक्षर)

उप निबन्धक
फर्म सोसाइटीज एवं चिट्ठा
देहरादून

R.B.
Samuel
2021-01-01
B. Agarwal

(10)

(ग) सचिव :- कार्यकारिणी समिति की बैठकों की कार्यवाही लिखना, आगामी बैठक में पिछली कार्यवाही की पुष्टि करवाना, वार्षिक बजट बनाना, संस्था के आय-व्यय सम्बन्धी सम्पत्ति प्रपत्र तैयार करवाना, चार्टड एकाउन्ट से आडिट करवाना, आडिट रिपोर्ट प्रबन्धकारिणी के समक्ष पेश करना, संस्था की ओर से पत्राचार करना, कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत नियमों के अधीन कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करना तथा संस्था के हितार्थ कार्य करना जो संस्था के उद्देश्यों के विरुद्ध न हो।

(घ) कोषाध्यक्ष :- संस्था के कोष का रखरखाव तथा खाते का संचालन करना।

(ङ) सदस्य :- प्रबन्धकारिणी में सदस्य होंगे जो कोरम की पूर्ति करेंगे व पदाधिकारीयों को संस्था के कार्यों में सहयोग करेंगे।

8. संस्था के नियम/ विनियमों में संशोधन की प्रक्रिया- संस्था के विधान में परिवर्तन कराने हेतु प्रबन्धकारिणी समिति में विधान परिवर्तन का प्रस्ताव पारित करके तथा उसे साधारण सभा द्वारा अनुमोदित करवाकर सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम की धारा 4ए तथा नियम 5 के अनुसार संस्था के नियमों में परिवर्तन की कार्यवाही के प्रस्ताव की प्रति के साथ 30 दिन के अन्दर ही उन्हें पंजीकरण किये जाने की सूचना जारी किये जाने पर ही परिवर्तन मान्य होंगे।

10. प्रबन्धकारिणी समिति की वार्षिक सूची तथा संतुलन पत्र:- प्रत्येक वर्ष प्रबन्ध कारिणी समिति की सूची तथा आय-व्यय लेखे व संतुलन पत्र नियमानुसार उप निबन्धक कार्यालय में जमा किया जायेगा।

संस्था प्रतिलिपि

12. संस्था द्वारा अथवा संस्था के विरुद्ध सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम की धारा -6 के अनुसार अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व संस्था के सचिव का होगा।

(सचिव तथा कम से कम तीन अन्य पदाधिकारीयों के हस्ताक्षर)

उप निवाचक
संस्था सोसाइटी एवं चिह्न
देहरादून

Mr. Brijendra Singh
Chairman

Rajesh
Secretary

Chandru
Treasurer

3. संस्था के अभिलेख :-

- (क) सदस्यता रजिस्टर।
(ख) कार्यवाही रजिस्टर।
(ग) स्टाक रजिस्टर।
(घ) कैश बुक।
(ङ) रसीद बुक।
(च) ऐजेन्डा रजिस्टर आदि।

4. संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम की धारा 13 व धारा 14 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत की जायेगी।

संस्था का नोट किसी भौंक समूह ट्राफट में बेला जाएगा तथा उसका संचालन लघुपत्र और सामिक हारा किया जाएगा। संस्था के साम-जग का लघुपत्र भौंक मन्त्रालय द्वारा भौंकें से कराया जाएगा।

दिनांक

6/10/2013

(सचिव तथा कम से कम तीन अन्य पदाधिकारियों के हस्ताक्षर)



सत्य प्रतिशिखा

उमा विवरक
सोसाइटी एवं विद्युत
देहरादून